आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–28 / 12–13

मुक्ति लाल राम

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

09.12.2014

यह अपील वाद मुक्ति लाल राम पिता–स्व0 जगरनाथ राम सा0–कोहड़ा पंचायत–लक्षनौता प्रखंड–गौनाहा के जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–02 / 95 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल कार्यालय के अभिलेख की मांग की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुक्तिलाल राम द्वारा निम्न अनियमितता बरती गयी है :–

1. निर्धारित कार्यवधि में बीना पूर्व सूचना के दूकान बंद रखना।
2. सूचनापट्ट नियमानुकूल संधारित नही पाया गया।
3. वर्ष–2012 में एक भी माह का अनाज उपभोक्ताओं के बीच वितरण नही करना।
4. अन्त्योदय लाभूको को 35कि0ग्रा0 खाद्यान्न की जगह 30कि0ग्रा0 खाद्यान्न आपूर्ति करना।
5. बी0पी0एल0 लाभूको को 25कि0ग्रा0 की जगह 20कि0ग्रा0 अनाज आपूर्ति करना।
6. अन्त्योदय एवं वी0पी0एल0 लाभूको से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेना।
7. निर्धारित मूल्य से अधिक तथा उचित मात्रा से कम किरासन तेल आपूर्ति करना।

अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

दिया गया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त सभी लगाये गये आरोप बेबुनियाद तथा तथ्य हीन है। क्योंकि किसी भी लाभूक का नाम अंकित नही है। उनके द्वारा कहा गया कि वे निर्धारित मूल्य एवं उचित मात्रा में वितरण किया जाता है। वर्ष–2012 के किस माह में अनाज का वितरण लाभूको के बीच नही किया गया है, जिसका उल्लेख नही किया गया है। मेरे विरूद्ध मेरे सगे भाई आपसी रंजिस को लेकर एक असामजिक लोगो का झुण्ड बनाकर मेरे उपर तरह–तरह का आरोप लगाते रहे है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित कागजातों के अवलोकन तथा गहन विवेचना से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता पर लगाये गये आरोप के बिन्दु पर अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज जांच कर पुनः आदेश पारित करेंगे। यदि जांच में यह पाया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी नही की गयी है एवं वितरण सही ढंग से किया गया है तो उसकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जिवित करेंगे अन्यथा पाये जाने पर उचित आदेश पारित करेंगे। उपरोक्त निदेश के साथ पुनः सुनवाई हेतु इस मामलें को अनुज्ञापन पदाधिकारी –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
08/12/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
08/12/14